उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)
पेंशन PENSION

CIN: U32201UP1999SGC 024928

पत्र सं0 5253/उ0म0प्र0/पेंशन/विविध

दिनांक 30-09-2016

समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
ट्रान्सकों/डिस्काम, पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल/मध्यॉचल
समस्त उप महाप्रबन्धक/उप मुख्य लेखाधिकारी,
परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
(ट्रान्सकों/डिस्काम, पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल/मध्यॉचल)

विषय :– **पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर से प्रत्याप्ति के कारण रोकी गई पेंशन/पारिवारिक पेंशन पत्रावलियों को कोषागार प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

विद्युत पेंशनर्स परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 146–वि0पें0प0/एल0के0डी0–1 दिनांक 28.09.2016 के द्वारा अवगत कराया है कि कारपोरेशन के आदेश संख्या 500–पें0एवंआर0–28/पाकालि/15–60पी/98 दिनांक 14.05.2015 के अनुपालन से पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जिनके विरूद्व प्रत्याप्ति आंकलित की गयी थी, की पत्रावलियॉ कोषागार को नही भेजी गई है जिससे कि पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नही हो पा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पारिवारिक पेंशनर्स अथवा पेंशनर्स को प्रत्येक माह मासिक पेंशन का भुगतान सुनिश्चित कराया जाना नियोक्ता का मूल दायित्व है। वर्तमान में मार्च 2016 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान सम्बन्धित कोषागार कार्यालय से कराये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है जिसके अनुक्रम में पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के प्रकरण/पत्रावलियॉं निर्धारित प्रारूप में औपचारिकतायें पूरी करते हुये सम्बन्धित कोषागार को संगत शासनादेश के अनुपालन में प्रेषित किया जाना पूर्व में आदेशित है।

उक्त प्रकरणों में सुगम निस्तारण हेतु यह आवश्यक होगा कि पारिवारिक पेंशनरों के पारिवारिक पेंशन का भुगतान सम्बन्धित कोषागार से अविलम्ब प्रारम्भ कराये जाने हेतु पेंशन पत्रावलियॉ कोषागार को अविलम्ब प्रेषित की जायें। यदि प्रकरण में कोई प्रत्याप्ति नियमानुसार ऑकलित होती है तो उक्त प्रत्याप्ति की राशि को सुगम मासिक किश्तों में विभक्त करने के प्रशासनिक आदेश निर्गत करते हुये सम्बन्धित पारिवारिक पेंशनरों से उक्त प्रत्याप्ति की मासिक राशि पेंशन वितरण इकाई में चेक अथवा कैश के माध्यम से जमा की जायेगी, का हलफनामा (Affidavit) प्राप्त करते हुये न्यूनतम मासिक पेंशन के भुगतान हेतु पेंशन प्रपत्र/पत्रावली सम्बन्धित कोषागार को प्रेषित कर दिये जायें।

उ0 प्र0 पा0 से0 इ0 ट्रस्ट
शक्ति भवन, लखनऊ।
डा0सं0 1993 /ट्रस्ट दिनांक
आवश्यक/महत्वपूर्ण
1. उपसचिव/अधिशासी अभियन्ता
2. लेखाधिकारी
3. स0 लेखाधिकारी श्री
4. कार्य अधिकारी श्री
5. लेखाकार श्री
6. स0 लेखाकार श्री
स0ले0अ0 ले0अ0 सचिव (ट्रस्ट)

भवदीय,

(एस.के.शुक्ला)
उपमहाप्रबन्धक (पेंशन)

संख्या 5253 /उ0म0प्र0/पेंशन/विविध/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि **सचिव,** उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(एस.के.शुक्ला)
उपमहाप्रबन्धक (पेंशन)